रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2005/चैत्र 16, 1927
No. 86] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2005/CHAITRA 16, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2005

विषय : जापान और यूएसए से एनीलिन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करना।

(निर्णायक समीक्षा)

सं. 15/2/2005-डीजीएडी - 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जापान और यूएसए (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से एनिलिन (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध माल कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के उप शीर्ष 2921.41 के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक जांच परिणाम 8.3.2000 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध माल पर अनंतिम शुल्क 10 अप्रैल, 2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 41/2000 द्वारा लगाया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम 31.8.2000 की अधिसूचना सं. 33/1/99-डीजीएडी द्वारा जारी किया गया था और निश्चित पाटनरोधी शुल्क सीमा शुल्क विभाग द्वारा 6 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं. 128/2000-सीमाशुल्क के अनुसार लगाया गया था।

2. जांच शुरूआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करना अपेक्षित है और यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने

अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादकों अर्थात मैसर्स नर्मदा चेमातुर पेट्रोकैमिकल्स लि0 (एनसीपीएल), भरूच और मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लि0 (एचओसीएल), मुम्बई ने आवेदन दायर किया है जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा किए जाने की जरूरत का समर्थन किया है और जापान और यूएस मूल के अथवा से निर्यातित एनीलिन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने का अनुरोध किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (संशोधन) की धारा 9क (5) के प्रावधान के अंतर्गत इस स्तर पर संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा ।

3. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद एनीलिन है और इसे एनिलीन ऑयल (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध माल कहा गया है) के नाम से भी जाना जाता है । यह सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 2921.41 के अंतर्गत आता है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

4. शामिल देश

वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश जापान और यूएसए हैं ।

5. प्रक्रिया

I. 31.8.2000 की 33/1/99-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की और 6 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं. 128/2000-सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात प्राधिकारी एतद्द्वारा यह समीक्षा करने की जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञात, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों के जारी रहने अथवा पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

II. समीक्षा में दिनांक 18 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 16/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा ।

6. जांच की अवधि

वर्तमान निर्णायक समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 तक (12 महीने) है । तथापि, क्षति के विश्लेषण के लिए जांच की अवधि के अतिरिक्त तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 को शामिल किया जाएगा ।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों के माध्यम से उनकी सरकारों, ज्ञात संबद्ध आयातकों और उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करें और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराएं ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, कमरा सं. 240 नई दिल्ली - 110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गयी समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

8. समय - सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं ।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

क्रिस्टी एल. फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Initiation Notification

New Delhi, the 6th April, 2005

Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Aniline from Japan and USA.

(Sunset Review)

No. 15/2/2005-DGAD - The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of

Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Aniline (hereinafter also referred to as subject goods) from Japan and USA (hereinafter also referred to as subject countries) falling under Sub-heading 2921.41 of Schedule I of Customs Tariff Act. The preliminary findings were published vide Notification dated 8.3.2000 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 41/2000 dated 10th April, 2000. The Designated Authority issued final findings on 31.8.2000 vide Notification No. 33/1/99-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No.128/2000-Customs dated 6th October, 2000.

2. Initiation :

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the rules made there under require the Authority to review the need for continuance of anti dumping duty and whether the cessation of the anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The producers representing the domestic industry viz. M/s Narmada Chematur Petrochemicals Limited (NCPL), Bharuch and M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), Mumbai have filed application substantiating the need for sunset review of the antidumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from subject countries and have requested for continuation of the anti-dumping duty imposed on imports of Aniline originating in or exported from Japan and USA. The Designated Authority considers that the sunset review of the Anti-Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended.

3. Product Under Consideration

The product under consideration is Aniline and is also known as Aniline Oil (hereinafter referred to as subject goods). It is covered under Customs Sub-heading No. 2921.41 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

4. Countries Involved:

The countries involved in the present sunset review investigation are Japan and USA.

5. Procedure

I. Having decided to review the final findings notified vide No. 33/1/99-DGAD dated 31.8.2000 and final duty imposed by Notification No 128/2000-Customs dated 6th October, 2000, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject countries, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

II. The review covers all aspects of Notification No. 33/1/99-DGAD dated 31.8.2000.

6. Period of Investigation

The period of investigation for the purpose of the present Sunset Review is 1st October, 2003 to 30th September, 2004 (12 months). The injury analysis shall cover the three preceding financial years i.e. 2001-02, 2002-03 & 2003-04 in addition to the POI.

7. Submission of Information

The exporters in subject countries, their governments through their Embassies/ High Commissions in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD), Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.